

झारखण्ड सरकार

कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

प्रेषक,

अबुबकर सिद्दीख पी०, (गा० प्र० से०)
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

द्वारा -

आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय -

राँची/दिनांक 03.02.26

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में स्वीकृत केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के विरुद्ध स्टेट टॉप अप सहायता की अवशेष राशि मो० 70.00 लाख (सत्तर लाख) रु० मात्र पर योजना क्रियान्वयन तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में द्वितीय अनुपूरक आगणक से प्राप्त बजट उपबंध के अधीन व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में स्वीकृत केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के विरुद्ध स्टेट टॉप अप सहायता की अवशेष राशि मो० 70.00 लाख (सत्तर लाख) रु० मात्र पर योजना क्रियान्वयन तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में द्वितीय अनुपूरक आगणक से प्राप्त बजट उपबंध के अधीन व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्र प्रायोजित-प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत स्टेट टॉप अप सहायता हेतु स्वीकृत मूल बजट उपबंध मो० 450.00 लाख (चार करोड़ पचास लाख) रुपये तथा द्वितीय अनुपूरक आगणक से प्राप्त मो० 70.00 लाख रु० का योजना उद्व्यय एवं इतनी ही राशि का बजट उपबंध प्राप्त है।

3. योजनान्तर्गत कुल स्वीकृत राशि मो० 520.00 लाख रु० मात्र के अधीन मो० 70.00 लाख (सत्तर लाख) रुपये मात्र की निकासी निम्नांकित बजट शीर्ष से की जाएगी :-

माँग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-उप शीर्ष-77-प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (राशि रु० में)

क	विस्तृत शीर्ष	स्वीकृत बजट उपबंध	द्वितीय अनुपूरक पश्चात् संशोधित बजट उपबंध	स्वीकृत्यादेश सं० 04 रा० (वि०) दिनांक 10.06.2025 द्वारा स्वीकृत राशि (PMMSY & DAJGUA)	स्वीकृत्यादेश सं० 15 रा० (वि०) दिनांक 20.08.2025 द्वारा स्वीकृत राशि (Insurance)	स्वीकृत्यादेश सं० 28 रा० (वि०) दिनांक 12.11.2025 द्वारा स्वीकृत राशि (State Top Up)	स्वीकृत्यादेश सं० 30 रा० (वि०) दिनांक 14.11.2025 द्वारा स्वीकृत राशि (DAJGUA)	वर्तमान में स्वीकृत राशि	अवशेष बजट उपबंध
लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली-पालन									
1	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C2405001017 7010649	2000000000	2000000000	1230000000	0	0	58725000	0	18275000
	कुल केन्द्रांश	2000000000	2000000000	1230000000	0	0	58725000	0	18275000

क	विस्तृत शीर्ष	स्वीकृत बजट उपबंध	द्वितीय अनुपूरक पश्चात् संशोधित बजट उपबंध	स्वीकृत्यादेश सं० 04 सं० (वि०) दिनांक 10.06.2025 द्वारा स्वीकृत राशि (PMMSY & DAJGUA)	स्वीकृत्यादेश सं० 15 सं० (वि०) दिनांक 20.08.2025 द्वारा स्वीकृत राशि (Insurance)	स्वीकृत्यादेश सं० 28 सं० (वि०) दिनांक 12.11.2025 द्वारा स्वीकृत राशि (State Top Up)	स्वीकृत्यादेश सं० 30 सं० (वि०) दिनांक 14.11.2025 द्वारा स्वीकृत राशि (DAJGUA)	वर्तमान में स्वीकृत राशि	अवशेष बजट उपबंध
2	06-अनुदान-49- आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S240500101 77010649	133300000	133300000	820000' 00	0	0	39150000	0	12150000
3	07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय (राज्यांश) 53S240500101 77010759	3700000	0	0	0	0	0	0	0
4	06-अनुदान-49- आर्थिक सहायता (राज्यांश - स्टेट टॉप अप) 53X240500101 77010649	18000000	21700000	0	3233519	14766481	0	3700000	0
कुल राज्यांश		155000000	155000000	82000000	3233519	14766481	39150000	3700000	12150000

लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

5	06-अनुदान-49- आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C2405007897 7010649	100000000	82000000	22000000	0	0	0	0	60000000
कुल केन्द्रांश		100000000	82000000	22000000	0	0	0	0	60000000
6	06-अनुदान-49- आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S2405007897 7010649	66700000	54800000	14667000	0	0	0	0	40133000
7	07-अन्य व्यय- 59-अन्य व्यय (राज्यांश) 53S2405007897 7010759	1000000	0	0	0	0	0	0	0
8	06-अनुदान-49- आर्थिक सहायता (राज्यांश - स्टेट टॉप अप) 53X2405007897 7010649	9000000	10000000	0	546863	8453137	0	1000000	0
कुल राज्यांश		76700000	64800000	14667000	546863	8453137	0	1000000	40133000

लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना

9	06-अनुदान-49- आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C2405007967 7010649	124900000	168000000	80000000	0	0	44798400	0	43201600
कुल केन्द्रांश		124900000	168000000	80000000	0	0	44798400	0	43201600

क	विस्तृत शीर्ष	स्वीकृत बजट उपबंध	द्वितीय अनुपूर्वक पश्चात् संशोधित बजट उपबंध	स्वीकृत्यादेश सं० 04 रा० (वि०) दिनांक 10.06.2025 द्वारा स्वीकृत राशि (PMMSY & DAJGUA)	स्वीकृत्यादेश सं० 15 रा० (वि०) दिनांक 20.08.2025 द्वारा स्वीकृत राशि (Insurance)	स्वीकृत्यादेश सं० 28 रा० (वि०) दिनांक 12.11.2025 द्वारा स्वीकृत राशि (State Top Up)	स्वीकृत्यादेश सं० 30 रा० (वि०) दिनांक 14.11.2025 द्वारा स्वीकृत राशि (DAJGUA)	वर्तमान में स्वीकृत राशि	अवशेष बजट उपबंध
10	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S2405007967 7010649	83200000	111900000	53333000	0	0	29865600	0	28701400
11	07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय (राज्यांश) 53S2405007967 7010759	23000000	0	0	0	0	0	0	0
12	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश - स्टेट टॉप अप) 53X2405007967 7010649	18000000	20300000	0	1786434	16213566	0	2300000	0
कुल राज्यांश		103500000	132200000	53333000	1786434	16213566	29865600	2300000	28701400
सकल केन्द्रांश:		424900000	450000000	225000000	0	0	103523400	0	121476600
सकल राज्यांश		335200000	352000000	150000000	5566816	39433184	69015600	7000000	80984400
कुल योग (2405) :		760100000	802000000	375000000	5566816	39433184	172539000	7000000	202461000

मो० 70.00 लाख (सत्तर लाख) रु० मात्र।

4. भारत सरकार द्वारा देश में मछली पालन को बढ़ावा देने, मत्स्य कृषकों की आय दुगुनी करने, मत्स्य पालन के क्षेत्र में नए रोजगार सृजन तथा फसलोत्तर क्षति को कम करने हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्रियान्वित की जा रही है।

5. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाईयों को दृष्टिपथ में रखते हुये निजी क्षेत्र के लाभुकों के लिए मूल अनुदान की राशि के साथ-साथ स्टेट टॉप-अप से अतिरिक्त सहायता देने की माँग सभी जिला मत्स्य पदाधिकारियों द्वारा विभागीय बैठकों में की जाती रही है। दिनांक 16.09.2022 को स्टेट टॉप-अप के लिए सम्पन्न विभागीय बैठक में सभी कोटि यथा General/ST/SC/Women को Unit cost का पूर्व निर्धारित अनुदान के साथ और 25 % राज्य योजना अंतर्गत स्टेट टॉप-अप के रुप में दिये जाने की अनुशंसा निम्न रुप में की गई है -

क्र०	कम्पौनेंट्स का नाम	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)			
		इकाई लागत	General कोटि में सरकार का अनुदान (40 %)	ST/SC/Women कोटि में सरकार का अनुदान (60 %)	राज्य योजना से स्टेट टॉप-अप की प्रस्तावित राशि (Unit cost का 25 %)
1	2	3	4	5	6
1.1	कार्प हैचरी अधिष्ठापन कार्य	25.00	10.00	15.00	6.25
1.3	नये रियरिंग तालाब का निर्माण (नर्सरी/बीज रियरिंग तालाब)	7.00/ha	2.80	4.20	1.75
1.4	नये ग्रे आउट तालाब का निर्माण	7.00	2.80	4.20	1.75
1.12	बायोफ्लॉक तालाबों का निर्माण (4 लाख रु० प्रति हे० इनपुट सहित)	14.00	5.60	8.40	3.50
4.1	वैकरीयोंड सजावटी/रंगीन/अलंकारी मछलियों की रियरिंग इकाई	3.00	1.20	1.80	0.75

क्र०	कम्पोजेंट्स का नाम	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)			
		इकाई लागत	General कोटि में सरकार का अनुदान (40 %)	ST/SC/Women कोटि में सरकार का अनुदान (60 %)	राज्य योजना से टॉप-अप की प्रस्तावित राशि (Unit cost का 25 %)
1	2	3	4	5	6
4.2	मध्यम आकार के सजावटी/रंगीन/अलंकारी मछलियों की रियरिंग इकाई	8.00	3.20	4.80	2.00
4.3	समेकित अलंकारी मछलियों की पालन एवं प्रजनन इकाई (मीठा जल मछली)	25.00	10.00	15.00	6.25
5.1 a	बड़े आर०ए०एस० (रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम) इकाई की स्थापना (कम से कम 90 घनमीटर प्रति क्षमता वाले 08 टैंक एवं 40 टन/कार्प मछली उत्पादन की क्षमता)	50.00	20.00	30.00	12.50
5.1 b	04 मी० व्यास एवं 1.5 मी० उंचाई के 50 टैंक वाले बड़े बायोफ्लॉक की स्थापना	50.00	20.00	30.00	12.50
5.2 a	मध्यम आर०ए०एस० (रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम) इकाई की स्थापना (कम से कम 30 घनमीटर प्रति क्षमता वाले 06 टैंक एवं 10 टन/कार्प मछली उत्पादन की क्षमता)	25.00	10.00	15.00	6.25
5.2 b	04 मी० व्यास एवं 1 मी० उंचाई के 25 टैंक वाले मध्यम बायोफ्लॉक की स्थापना	25.00	10.00	15.00	6.25
5.3 a	छोटे आर०ए०एस० (रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम) इकाई की स्थापना (कम से कम 100 घनमीटर क्षमता का 01 टैंक)	7.50	3.00	4.50	1.88
5.3 b	04 मी० व्यास एवं 1.5 मी० उंचाई के 07 टैंक वाले छोटे बायोफ्लॉक की स्थापना	7.50	3.00	4.50	1.88
5.4	बैकवॉर्ड मिनी आर०ए०एस० (रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम) इकाई की स्थापना	0.50	0.20	0.30	0.13
5.5	जलाशयों में केज अधिष्ठापन	3.00	1.20	1.80	0.75
6.1 a	कम से कम 10 टन क्षमता वाले शीत गृह (कोल्ड स्टोरेज)/आईस प्लान्ट निर्माण	40.00	16.00	24.00	10.00
6.9 a	लघु फिश फीड मिल (प्रतिदिन 02 टन उत्पादन क्षमता)	30.00	12.00	18.00	7.50

6. (क) निजी क्षेत्र के लिए लाभुक जनित योजनाओं में कोटिवार लाभुकों का अंशदान एवं स्टेट टॉप-अप से दिये जाने वाले अनुदान की स्थिति निम्न प्रकार होगी -

लाभुकों की कोटि	इकाई लागत	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में भारत सरकार द्वारा निर्धारित सरकारी अनुदान की राशि			लाभुकों का अंशदान	स्टेट टॉप-अप से अनुदान की राशि	स्टेट टॉप-अप के उपरांत लाभुक का अंशदान
		सरकारी अनुदान	कुल सरकारी अनुदान में				
			केन्द्रांश *	राज्यांश *			
General	100	40 %	60 %	40%	60%	25 %	35 %
ST	100	60 %	60 %	40%	40%	25 %	15 %
SC	100	60 %	60 %	40%	40%	25 %	15 %
Women	100	60 %	60 %	40%	40%	25 %	15 %

*केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि सरकारी अनुदान में निहित है।

(ख) निजी क्षेत्र के लाभुकों के लिए इकाई लागत (मानक 100/- रु० मात्र मानते हुए) के विरुद्ध राज्यांश मद का अनुदान एवं राज्य योजना के स्टेट टॉप-अप से दी जाने वाली सहायता से राज्य सरकार पर पड़ने वाला व्यय भार निम्न प्रकार है -

लाभुकों की कोटि	इकाई लागत	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में भारत सरकार द्वारा निर्धारित सरकारी अनुदान की राशि			स्टेट टॉप-अप से अनुदान की राशि	राज्य सरकार पर पड़ने वाला कुल व्यय भार
		सरकारी अनुदान	केन्द्रांश	राज्यांश		
General	100	40	24	16	25	41
ST	100	60	36	24	25	49
SC	100	60	36	24	25	49
Women	100	60	36	24	25	49

7. राज्य के अधिकांश मत्स्य कृषक आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होने के कारण भारत सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में लाभुक के रूप में अपना अंशदान लगाने में सक्षम नहीं हैं। राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना से टॉप-अप सहायता उपलब्ध कराने से लाभुक सुगमतापूर्वक ससमय योजना क्रियान्वित कर सकेंगे।

8. पूर्व में विकास आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 22.02.2021 को सम्पन्न योजना प्राधिकृत समिति की बैठक की निर्गत कार्यवाही में भी अंकित है कि वैसी योजनाएँ जो केन्द्र संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत आच्छादित हैं, उनमें मात्र अनुदान की राशि की वृद्धि की स्थिति में अन्तर राशि ही Top-up के रूप में राज्य मद से प्रावधानित की जाय।

(क) उक्त के आलोक में केज कल्चर हेतु राज्य योजना – तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना के तहत केज कल्चर विस्तार एवं सुदृढीकरण कार्यान्वित की जा रही है जिसका चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्यादेश सं० 10 रा० (वि०) दिनांक 04.07.2025 निर्गत है। उक्त निर्गत राज्यादेश में सभी कोटि के लिए केज अधिष्ठापन हेतु राज्य सरकार द्वारा 90 % एवं इनपुट हेतु 50 % अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे केज कल्चर के कुल इकाई लागत का लगभग 70 % अनुदान लाभुकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भी सभी कोटि के लिए इसीप्रकार 70 % तक अनुदान स्टेट टॉप-अप से उपलब्ध कराया जायेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनांतर्गत स्वीकृत होने वाले केज कल्चर में स्टेट टॉप-अप से General कोटि के लिए 30 % तक एवं ST/SC/Women कोटि के लिए 10 % तक की सहायता उपलब्ध करायी जायेगी तथा केज अधिष्ठापन की लागत का अधिकतम 90 % तक ही केज कल्चर हेतु उपलब्ध कराये गये कुल अनुदान (केन्द्रांश + राज्यांश + स्टेट टॉप-अप) में से एवं शेष इनपुट में व्यय किया जायेगा।

(ख) राज्य योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रियरिंग तालाब का निर्माण योजना भी स्वीकृत है किन्तु राज्य योजना तथा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत स्वीकृत इकाई लागत में भिन्नता है। राज्य योजना में वर्ष 2022-23 में निर्गत राज्यादेश सं० 02 रा० (वि०) दिनांक 25.05.2022 में इकाई लागत मो० 5.008 लाख रु० प्रति एकड़ अर्थात् मो० 12.52 लाख रु० प्रति हेक्टेयर है। जबकि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत इकाई लागत मो० 7.00 लाख रु० प्रति हेक्टेयर मात्र है। अतएव इसमें स्टेट टॉप-अप से और 25 % तक सहायता उपलब्ध कराया जाना है।

9. (क) वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक अनुमोदन के विरुद्ध राज्यादेश सं० 56 रा० (वि०) दिनांक 06.03.2025 तथा राज्यादेश सं० 28 रा० (वि०) दिनांक 12.11.2025 द्वारा परिशिष्ट – 'I' के रूप में निर्गत है।

उपरोक्त के कम में चालू वित्तीय वर्ष में किये जाने वाले व्यय तथा तदनुसार अवशेष राशि हेतु आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में समुचित उपबंध प्राप्त कर व्यय किया जायेगा।

(ख) वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के विरुद्ध स्टेट टॉप-अप सहायता हेतु निर्गत राज्यादेश सं० 46 रा० (वि०) दिनांक 26.02.2024 में मो० 18.1615 करोड़ रुपये मात्र के योजना क्रियान्वयन की स्वीकृति के विरुद्ध उक्त वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन मो० 8.73538 करोड़ रु० (मो० 3.45995 करोड़ रु० लाभुक के खाते में एवं मो० 5.27543 करोड़ रु० पी० एल० खाते में) मात्र तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में निर्गत राज्यादेश सं० 56 रा० (वि०) दिनांक 06.03.2025 के कम में उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन मो० 2.13 करोड़ रु० मात्र का ही जिलावार व्यय किया जा सका है। इसप्रकार योजना क्रियान्वयन की कुल

(Handwritten signatures and initials)

स्वीकृत राशि मो0 18.1615 करोड़ रु0 मात्र के विरुद्ध मात्र मो0 10.865 करोड़ रु0 मात्र का ही व्यय किया जा सका है।

उपरोक्त के कम में जिलावार प्राप्त अवशेष राशि की मांग तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्टेट टॉप - अप हेतु उपलब्ध मूल बजट उपबंध मो0 4.50 करोड़ रु0 मात्र में से जिलावार मांग के अनुरूप मो0 3.073 करोड़ रु0 मात्र के व्यय हेतु राज्यादेश सं0 28 रा0 (वि0) दिनांक 12.11.2025 द्वारा परिशिष्ट - 'II A', 'II B' तथा 'II C' के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

चालू वित्तीय वर्ष में द्वितीय अनुपूरक आगणक से प्राप्त मो0 70.00 लाख रु0 मात्र के व्यय हेतु विवरणी परिशिष्ट - 'II A', 'II B' तथा 'II C' के रूप में संलग्न है। शेष राशि का व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में समुचित उपबंध प्राप्त कर किया जायेगा।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्र प्रायोजित-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अधीन कोई योजना अबतक स्वीकृत नहीं होने के कारण स्टेट टॉप-अप सहायता स्वीकृत नहीं है।

(घ) इसीप्रकार केन्द्र प्रायोजित - प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 तथा आगामी वित्तीय वर्षों में भारत सरकार से प्राप्त होने वाले प्रशासनिक अनुमोदनों के समानुपातिक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में निर्गत होने वाले स्वीकृत्यादेशों के विरुद्ध स्टेट टॉप-अप हेतु सम्यक् योजना उद्ब्यय एवं बजट उपबंध प्राप्त करते हुए राज्यादेश निर्गत किया जाएगा।

10. योजना की feasibility की जिम्मेवारी संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी की होगी।

11. जिला मत्स्य पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना में जिन कार्यों के लिए राशि विमुक्त की गई है, स्टेट टॉप-अप की राशि का उपयोग उन्हीं कार्यों के लिए किया जाए तथा राशि का विचलन नहीं हो।

12. जिला मत्स्य पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि लाभुकों का अंशदान समानुपातिक रूप से व्यय हो। स्टेट टॉप-अप की राशि डी0 बी0 टी0 के माध्यम से व्यय की जाएगी।

13. जिला मत्स्य पदाधिकारी सुनिश्चित हो लेंगे कि योजना का दोहरीकरण नहीं हो।

14. केन्द्र प्रायोजित-प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का चयन वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, PFMS Division, भारत सरकार के पत्रांक 1(27)/PFMS/2020 दिनांक 04.09.2023 द्वारा SNA - SPARSH Module पर क्रियान्वयन हेतु किया गया है। किन्तु तकनीकी कारणों से भारत सरकार द्वारा SNA - SPARSH Portal पर क्रियान्वित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अधीन State Top-Up के लिए मात्र राज्यांश की निकासी SNA - SPARSH Platform से करना संभव नहीं है क्योंकि State Top-Up के लिए Matching Central Share SNA - SPARSH Platform पर उपलब्ध नहीं होता। इसलिए वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा विगत वर्ष में Top-Up भुगतान के संबंध में दिए गए परामर्श तथा चालू वित्तीय वर्ष में Top-Up मद से बीमा के प्रीमियम भुगतान हेतु दिए गए परामर्श के कम में स्टेट टॉप-अप की राशि का भुगतान Normal Treasury Payment की प्रणाली का उपयोग करते हुए किया जाएगा।

इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची, जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी) होंगे जो दिये गये जिलावार भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्य (संलग्न परिशिष्ट - 'II A', 'II B' तथा 'II C') के अनुरूप राशि की निकासी दिये गये आवंटन के अंतर्गत संबंधित कोषागार से करेंगे।

15. राज्य स्तर पर नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के सर्वोच्च नियंत्रण अंतर्गत समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

16. राशि का व्यय उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जायेगी।

17. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरूपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

18. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमंडल, सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड के प्रसंगाधीन अधिसूचना सं०-सी०एस०-२/आर०-०१-२००५-३०१ दिनांक ११ मार्च, २०१५ तथा सी०एस०-०१/आर०-०४/ २००१/१२६९ दिनांक २१ सितम्बर, २०२३ के द्वारा विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के अधीन है।

१९. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसूचना अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

२०. स्वीकृत्यादेश में उल्लेखित प्रावधानों/शर्तों का सुदृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

२१. राज्य योजना प्राधिकृत समिति की दिनांक २०.०१.२०२३ को विकास आयुक्त, झारखण्ड की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक जिसकी कार्यवाही योजना एवं विकास विभाग के ज्ञापांक रा० यो० प्रा० - ४९/२०२३ दिनांक ०३.०२.२०२३ द्वारा निर्गत है, में इस योजना की अनुशंसा निम्न दो शर्तों के साथ की गई है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा -

(क) योजना के क्रियान्वयन के कम में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(ख) इस योजना के अंतर्गत तीन किस्तों में दिये जाने वाले राज्यांश की राशि के साथ स्टेट टॉप-अप की राशि विमुक्त की जाय।

२२. केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए राज्य योजना से स्टेट टॉप-अप के विभागीय संलेख ज्ञापांक-२७०, दिनांक २७.०२.२०२३ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव वित्तीय वर्ष २०२३-२४ में दिनांक १७.०४.२०२३ को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-०२ के रूप में स्वीकृत है।

२३. योजना स्वीकृति के प्रस्ताव पर मा० विभागीय मंत्री का निम्नांकित निदेशों के साथ अनुमोदन प्राप्त है :-
"योजना क्रियान्वयन के संबंध में वित्त विभाग/कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के साथ-साथ अन्य विभागीय शर्तों का अक्षरशः अनुपालन कर लिया जाय।"

२४. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

२५. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

२६. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब-साईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबकर सिद्दीख पी०)

सरकार के सचिव

राँची, दिनांक ०३.०२.२०२३

ज्ञापांक ४१.रा०.वि०

प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी/मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची एवं सभी सहायक मत्स्य निदेशकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

राँची, दिनांक ०३.०२.२०२३

ज्ञापांक ४१.रा०.वि०

प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

राँची, दिनांक ०३.०२.२०२३

ज्ञापांक ४१.रा०.वि०

प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

Page 7 of 7

परिशिष्ट-I

केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के विरुद्ध राज्य योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए स्टेट टॉप - अप योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में निर्गत राज्यादेश सं० 56 रा० (वि०) दिनांक 06.03.2025 में परिशिष्ट - I तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्गत राज्यादेश सं० 28 रा० (वि०) दिनांक 12.11.2025 के परिशिष्ट-IA, IB एवं IC के रूप में स्वीकृत है।

स. प्र.
संज्ञा

संज्ञा

संज्ञा

परिशिष्ट-II

केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के विरुद्ध राज्य योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए स्टेट टॉप - अप योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में निर्गत राज्यादेश सं0 46 रा0 वि0 दिनांक 26.02.2024 में परिशिष्ट - I के रूप में स्वीकृत है।

✓ Dr. K. S. Singh

परीक्षित-II-A
 दिनांक वर्ष 2025-26 में मुख्य शीर्ष-2405-माउसी पालन अर्थात् उप शीर्ष-77-प्रमाणनी मत्स्य समुदाय योजना के लिए स्टेट टीए-अप योजना में लघु शीर्ष-101-अर्थात् मछली पालन के तहत दिनांक वर्ष 2023-24 के वित्तवार माग के विरुद्ध अवशेष एवं आवरणक स्टेट टीए अप की विवरणी

(राशि लाख रु में)

S.No.	Name Of the Component	Unit Cost (Rs. in lakh)	Unit (No./Ha.)	Name of the District	Category (Beneficiary nos.)			Total Cost (Rs. in lakh)	राज्य योजना से स्टेट टीए-अप की राशि (Unit cost का 25 %)	फरवरी वर्ष 2023-24 में युवा की नई स्टेट टीए-अप की राशि (Rs. in lakh)	मार्च अप्रैल की राशि (Rs. in lakh)	मार्च अप्रैल की राशि (Rs. in lakh)	फरवरी वर्ष 2023-24 के लिए दिनांक वर्ष 2024-25 में युवा की नई राशि योजना से स्टेट टीए-अप की राशि	फरवरी वर्ष 2023-24 के लिए दिनांक वर्ष 2025-26 के वित्तवार माग के अर्थात् मुख्य शीर्ष-2405-माउसी पालन से स्टेट टीए-अप के युवा की राशि	स्टेट टीए-अप की अवशेष राशि	
1	2	3	4	5	General	ST	Women	Total	10	11	12	13	14	15	16	17
A																
ENHANCEMENT OF PRODUCTION AND PRODUCTIVITY																
1 Development of Inland Fisheries and Aquaculture																
1.1	Establishment of New Freshwater Carp Hatcheries	25.00	Nos.	Goddha	0	0	1	1	200.00	6.250	2.525	0.475	0.000	3.250	0.000	0.000
				Girdih	1	0	2	3		18.750	0.000	0.000	0.000	7.000	5.250	6.500
				Bokaro	0	0	3	3		18.750	0.000	9.000	0.000	0.000	0.000	9.750
				Koderna	0	0	1	1		6.250	0.000	3.000	3.250	0.000	0.000	0.000
				Total	1	0	7	8		50.000	2.525	12.475	3.250	10.250	5.250	16.250
				Palamu	0	5	10	15		26.250	8.822	11.062	0.000	3.366	3.000	0.000
				Girdih	1	0	0	1		1.750	0.000	0.000	0.000	0.000	1.750	0.000
				Total	1	5	10	16		28.000	8.822	11.062	0.000	3.366	4.750	0.000
				Chartra	5	3	5	13		22.750	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
				Hazaribagh	0	0	1	1		1.750	1.050	0.000	0.700	0.000	0.000	0.000
				Palamu	1	0	3	4		7.000	0.850	6.150	0.000	0.000	0.000	0.000
1.4	Construction of New Grow-out ponds	7.00	Ha	Bokaro	0	11	11	22	280.00	38.500	0.000	15.750	0.000	0.000	0.000	22.750
				Total	6	14	20	40		70.000	1.9000	21.900	0.700	0.000	0.000	45.500
				Dhanbad	1	0	1	2		7.000	0.000	4.000	3.000	0.000	0.000	0.000
				Goddha	0	0	13	13		45.500	0.000	26.000	7.000	6.500	6.000	0.000
				Palamu	0	0	3	3		10.500	2.665	3.455	0.000	4.380	0.000	0.000
1.12	Construction of Biofloc ponds for Freshwater areas including inputs of Rs 4 lakh/Ha	14.00	0.1 Ha	Girdih	1	0	6	7	644.00	24.500	0.000	0.000	0.000	12.000	4.000	8.500
				Deoghar	0	0	4	4		14.000	6.000	2.000	6.000	0.000	0.000	0.000
				Bokaro	0	2	9	11		38.500	14.000	8.000	0.000	7.643	8.85719	0.000
				Koderna	0	1	5	6		21.000	0.000	12.000	7.500	1.500	0.000	0.000
				Total	2	3	41	46		161.000	22.665	55.455	23.500	32.023	18.85719	8.50038
4 Development of Ornamental and recreational Fisheries																
4.1	Backyard Ornamental fish Rearing unit (both Marine and Freshwater)	3.00	Nos.	Koderna	0	0	1	1	3.00	0.750	0.000	0.750	0.000	0.000	0.000	0.000
				Total	0	0	1	1		0.750	0.000	0.750	0.000	0.000	0.000	0.000
				Bokaro	0	0	1	1		6.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.250
4.3	Integrated Ornamental fish (unit breeding and Rearing for fresh water fish)	25.00	Nos.	Total	0	0	1	1	25.00	6.250	0.000	0.000	0.000	0.000	6.250	
5 Technology Infusion and Adaptation																
5.1.1	Establishment of Large RAS (8 tanks of minimum 90 m3/tank capacity 40 ton /crop)	50.00	Nos.	Deoghar	0	0	2	2	100.00	25.000	0.000	12.000	6.500	6.500	0.000	0.000
				Total	0	0	2	2		25.000	0.000	12.000	6.500	6.500	0.000	0.000
				Palamu	1	1	1	3		37.500	17.235	4.037	0.000	6.000	8.14281	2.08498
5.1.2	Establishment of Biofloc (50 tanks of 4m dia and 1.5 high) culture system	50.00	Nos.	Bokaro	0	0	1	1	300.00	12.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	12.500
				Deoghar	0	0	2	2		25.000	6.000	6.000	13.000	0.000	0.000	0.000
				Total	1	1	4	6		75.000	23.235	10.037	13.000	6.000	8.143	14.585
5.2.1	Establishment of Medium RAS (with 6 tanks of minimum 30m3/tank capacity 10 ton /crop)	25.00	Nos.	Palamu	1	0	1	2	125.00	12.500	2.249	6.462	0.000	3.789	0.000	0.000
				Girdih	1	0	0	1		6.250	0.000	0.000	0.000	6.250	0.000	0.000
				Deoghar	0	0	1	1		6.250	0.000	5.000	1.250	0.000	0.000	0.000
				Dhanbad	0	0	1	1		6.250	0.000	0.000	6.250	0.000	0.000	0.000
				Total	2	0	3	5		31.250	2.249	11.462	7.500	10.039	0.000	0.000

21/11/24

8

16/11

परिशिष्ट-II-A
 वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन अन्तर्गत उप शीर्ष-77-प्रशासकीय भवन समुदाय योजना के लिए स्टेट टॉप-अप योजना में तदनु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के जिलावार मांग के विरुद्ध अवशेष एवं आवरक स्टेट टॉप अप की विवरणी

S.No.	Name Of the Component	Unit Cost (Rs. in lakh)	Unit (No./Ha.)	Name of the District	Category (Beneficiary nos.)			Total Cost (Rs. in lakh)	राज्य योजना से स्टेट टॉप-अप की राशि (Unit Cost का 25 %)	वित्तीय वर्ष 2023-24 में खर की गई स्टेट टॉप-अप की राशि (Rs. in lakh)			वित्तीय वर्ष 2023-24 में खर की गई राज्य योजना से स्टेट टॉप-अप की राशि			वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान खर के अंतिम राज्य योजना से स्टेट टॉप-अप के खर की राशि		
					General	ST	Women			Total	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
5.2.2	Establishment of Biofloc Culture System (25 tank of 4m dia and 1m High)	25.00	Nos.	Chattr	0	0	2	2	325.00	12.500	0.000	0.000	0.000	6.250	0.000	6.250		
				Palamu	1	1	1	3		18.750	4.819	10.388	0.000	3.543	0.000	0.000		
				Deoghar	1	0	1	2		12.500	0.000	10.000	2.500	0.000	0.000	0.000		
				Koderna	0	0	1	1		6.250	0.000	5.000	0.000	1.250	0.000	0.000		
				Godda	0	0	5	5		31.250	0.000	26.250	5.000	0.000	0.000	0.000		
				Total	2	1	10	13		81.250	4.819	51.638	7.500	11.043	0.000	6.250		
5.3.1	Establishment of RAS (with 1 tank of 100m3 capacity)	7.50	Nos.	Chattr	0	0	3	3	60.00	5.625	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.625		
				Palamu	0	0	1	1		1.875	0.425	1.450	0.000	0.000	0.000	0.000		
				Deoghar	0	0	3	3		5.625	1.875	3.750	0.000	0.000	0.000	0.000		
				Koderna	0	0	1	1		1.875	0.000	1.875	0.000	0.000	0.000	0.000		
				Total	0	0	8	8		15.000	2.300	7.075	0.000	0.000	0.000	5.625		
				Chattr	1	0	5	6		11.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	11.250		
5.3.2	Establishment of Biofloc (7 tanks of 4m dia and 1.5 high) culture system	7.50	Nos.	Dhanbad	1	0	3	4	285.00	7.500	0.000	3.750	1.875	1.875	0.000	0.000		
				Palamu	0	0	3	3		5.625	1.745	3.125	0.000	0.755	0.000	0.000		
				Garhwa	1	1	3	5		9.375	3.750	0.000	5.625	0.000	0.000	0.000		
				Rangarh	0	0	3	3		5.625	0.000	0.000	5.625	0.000	0.000	0.000		
				Giridih	0	0	2	2		3.750	0.000	0.000	0.000	3.750	0.000	0.000		
				Bokaro	0	0	2	2		3.750	0.000	3.750	0.000	0.000	0.000	0.000		
				Deoghar	0	0	3	3		5.625	5.625	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
				Koderna	0	0	4	4		7.500	3.750	3.750	0.000	0.000	0.000	0.000		
				Godda	1	0	5	6		11.250	1.500	9.750	0.000	0.000	0.000	0.000		
				Total	4	1	33	38		71.250	16.370	24.125	13.125	6.380	0.000	11.250		
				Hazaribagh	0	20	32	52		15.600	15.600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
				Koderna	0	0	20	20		6.000	6.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
Bokaro	0	8	20	28	8.400	0.000	8.400	0.000	0.000	0.000	0.000							
Total	0	28	72	100	30.000	21.600	8.400	0.000	0.000	0.000	0.000							
B. Infrastructure And Post Harvest Management																		
6.1 Construction of Cold Storages/ Ice Plants																		
6.1.1	Construction of Ice Plants/Cold Storages (min 10 ton capacity production)	40.00	Nos.	Palamu	0	0	2	2	200.00	20.000	5.473	7.150	0.000	7.377	0.000	0.000		
				Bokaro	0	0	1	1		10.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
				Deoghar	0	0	1	1		10.000	0.000	4.000	6.000	0.000	0.000	0.000		
				Godda	0	0	1	1		10.000	0.000	4.000	2.063	3.937	0.000	0.000		
Total	0	0	5	5	50.000	5.473	15.150	8.063	11.314	0.000	0.000	10.000						
6.9 Fish Feed Mills																		
6.9.1	Mini Feed Mills of production Capacity 2 ton/day	30.00	Nos.	Chattr	1	0	1	2	120.00	15.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	15.000		
				Palamu	0	1	1	2		30.000	0.000	6.750	0.000	8.250	0.000	0.000		
				Total	1	1	2	4		3079.00	724.750	111.958	248.279	83.138	105.165	37.00000		

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश (कुल राशि का 25%)

कुल राशि का अंश

(अनुवर्तक) (अनुवर्तक) (अनुवर्तक)

(अनुवर्तक) (अनुवर्तक) (अनुवर्तक)

(राशि लाख रु० में)

(क) पूर्णविकृत राशि को आवक नही समझा जाय।)

(५४ नव ५० भाग)

(अनुबन्धक सिद्धीख पी०)
सरकार के सचिव

सरकार के सदस्य

(राशि लाख ₹0 में)

S.No.	Name Of the Component	Unit Cost (Rs. in lakh)	Unit (No./Ha.)	Name of the District	Category (Beneficiary nos.)				Total Cost (Rs. in lakh)	राज्य योजना से स्टेट टॉप-अप की राशि (Unit cost का 25 %)	वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय की गई स्टेट टॉप-अप की राशि (Rs. in lakh)			वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय की गई राज्य योजना से स्टेट टॉप-अप की राशि			वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के स्वीकृत बजट अवशेष के अंतर्गत राज्य योजना से स्टेट टॉप-अप के व्यय की राशि			स्टेट टॉप-अप के अवशेष राशि (Rs. in lakh)
					General	ST	Women	Total			12	13	14	15	16	17				
ENHANCEMENT OF PRODUCTION AND PRODUCTIVITY																				
1 Development of Inland Fisheries and Aquaculture																				
1.1	Establishment of New Freshwater Carp Hatcheries	25.00	Nos.	Lathar Gumla Total	0 0 0	0 0 0	1 1 2	1 1 2	50.00	6,250 12,500 12,500	0.300 1.875 2.175	2,700 1,125 3,825	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000		
1.3	Construction of New Rearing ponds (nursery/seed rearing ponds)	7.00	Ha	Dumka Jamtara Total	0 0 0	2 0 3	0 1 7	2 1 10	91.00	3,500 1,750 17,500	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 15,000	0.000 0.000 2,500	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000		
1.4	Construction of New Grow-out ponds	7.00	Ha	Dumka Gumla Sahebganj Jamtara Total	0 1 0 0 1	1 10 0 0 12	0 10 1 1 12	1 20 2 1 25	175.00	1,750 35,000 3,500 1,750 43,750	0.000 0.000 0.000 0.000 21,000	2,600 9,000 3,000 0.000 13,500	0.000 0.000 0.000 0.000 0.250	0.000 0.000 0.000 0.000 0.250	0.000 0.000 0.000 0.000 1,500	0.000 0.000 0.000 0.000 4,000	0.000 0.000 0.000 0.000 1,000	0.000 0.000 0.000 0.000 1,750		
1.12	Construction of Biofloc ponds for Freshwater areas including inputs of Rs 4 lakh/Ha	14.00	0.1 Ha	Simdega Pakur Jamtara Lohardaga Total	0 0 1 1 2	1 1 0 0 2	1 1 0 0 2	2 1 2 5 25	350.00	7,000 3,500 7,000 17,500 87,500	0.000 0.000 0.000 0.000 18,961	2,000 8,000 2,000 8,000 18,889	0.000 0.000 0.000 0.000 8,500	0.000 0.000 0.000 0.000 12,548	0.000 0.000 0.000 0.000 3,000	0.000 0.000 0.000 0.000 8,000	0.000 0.000 0.000 0.000 25,602	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000		
4	Development of Ornamental and recreational Fisheries			Gumla Khunti Total	0 0 0	6 3 9	3 0 3	9 3 12	36.00	6,750 2,250 9,000	0.000 0.326 0.326	0.000 0.424 0.424	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.750 3,500	0.000 0.750 4,750	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000		
4.1	Backyard Ornamental fish Rearing unit (both Marine and Freshwater)	3.00	Nos.	Gumla Khunti Total	0 0 0	6 3 9	3 0 3	9 3 12	36.00	6,750 2,250 9,000	0.000 0.326 0.326	0.000 0.424 0.424	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.750 3,500	0.000 0.750 4,750	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000		
5	Technology Infusion and Adaptation			Jamtara Ranchi Total	1 0 1	0 0 0	0 1 1	1 1 2	100.00	12,500 12,500 25,000	0.000 0.000 0.000	6,000 0.000 6,000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 5,000 5,000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000		
5.1.1	Establishment of Large RAS (8 tanks of minimum 90 m3 /tank capacity 40 ton /crop)	50.00	Nos.	Jamtara Ranchi Total	1 0 1	0 0 0	0 1 1	1 1 2	100.00	12,500 12,500 25,000	0.000 0.000 0.000	6,000 0.000 6,000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 5,000 5,000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 7,500 14,000		
5.1.2	Establishment of Biofloc (50 tanks of 4m dia and 1.5 high) culture system	50.00	Nos.	Sahebganj Total	0 0	0 0	2 2	2 2	100.00	25,000 25,000	6,000 6,000	6,000 6,000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000		
5.2.1	Establishment of Medium RAS (with 6 tanks of minimum 30m3/tank capacity 10 ton /crop)	25.00	Nos.	Gumla Simdega Total	0 0 0	4 0 4	2 1 3	6 1 7	175.00	37,500 6,250 43,750	15,000 3,000 18,000	15,000 2,000 17,000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 2,500 2,500		
5.2.2	Establishment of Biofloc Culture System (25 tank of 4m dia and 1m High)	25.00	Nos.	Dumka Sahebganj Gumla Khunti Jamtara Pakur Total	0 0 0 0 0 0 0	2 1 1 1 1 1 4	4 3 1 1 1 1 7	6 4 2 2 1 2 17	425.00	37,500 25,000 12,500 6,250 12,500 106,250	10,052 8,599 0.000 0.000 0.000 0.000 18,651	19,334 1,401 0.000 0.000 0.000 0.000 50,735	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2,500 8,500	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 19,653	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1,864	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6,847				

Handwritten signature and initials.

Handwritten number 167.

परिशिष्ट-II-C

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्य शीर्ष-2405-भाषली पालन अनुसंधान उप शीर्ष-77-प्रधानमंत्री मत्स्य समृद्धि योजना के लिए स्टेट टॉप-अप योजना में लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तवार मांग के विरुद्ध अवशेष एवं आगश्यक स्टेट टॉप अप की विवरणी

(राशि लाख ₹0 में)

S.No	Name Of the Component	Unit Cost (Rs. in lakh)	Unit (No./Ha.)	Name of the District	Category (Beneficiary nos.)			Total Cost (Rs. in lakh)	ग्राम योजना से स्टेट टॉप-अप की राशि (Unit cost का 25 %)	वित्तीय वर्ष 2023-24 में मांग की गई स्टेट टॉप-अप की राशि (Rs. in lakh)			वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में मांग की गई ग्राम योजना से स्टेट टॉप-अप की राशि		वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान काले उपजों के सहित ग्राम योजना से स्टेट टॉप-अप के मांग की राशि		अवशेष राशि (Rs. in lakh)
					General	ST	Women			Total	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
5.3.1	Establishment of RAS (with 1 tank of 100m3 capacity)	7.50	Nos.	Dumka	0	0	1	1	112.50	1.875	0.000	0.0000	0.000	1.875	0.000	0.000	
				Gumla	0	8	4	12		22.500	0.000	0.0000	0.000	8.400	5.000	9.100	
				Simdega	0	0	1	1		1.875	0.000	0.000	0.000	1.875	0.000	0.000	
				Chaibasa	0	1	0	1		1.875	1.000	0.000	0.000	0.875	0.000	0.000	
				Total	0	9	6	15		28.125	1.000	0.000	0.000	13.025	5.000	9.100	
5.3.2	Establishment of Biofloc (7 tanks of 4m dia and 1.5 high) culture system	7.50	Nos.	Dumka	0	2	15	17	412.50	31.875	1.016	16.100	0.000	0.000	0.000	14.759	
				Sahebganj	0	0	1	1		1.875	0.000	1.000	0.000	0.875	0.000	0.000	
				Gumla	0	3	3	6		11.250	1.125	0.750	0.000	6.000	1.386	1.989	
				Jamtara	0	0	3	3		5.625	0.000	3.000	0.000	2.625	0.000	0.000	
				Ranchi	0	1	2	3		5.625	0.000	0.000	0.000	5.625	0.000	0.000	
				Chaibasa	0	3	0	3		5.625	0.000	2.000	2.625	1.000	0.000	0.000	
				Jamshedpur	0	0	1	1		1.875	0.000	0.000	1.875	0.000	0.000	0.000	
				Pakur	5	9	6	20		37.500	0.000	20.000	3.645	7.000	0.000	6.855	
				Lohardaga	1	0	0	1		1.875	0.000	0.000	0.000	1.875	0.000	0.000	
				Total	6	18	31	55		103.125	2.141	42.850	8.145	25.000	1.386	23.603	
5.4	Establishment of Backyard mini RAS units	0.50	Nos.	Sahebganj	0	0	1	1	1.50	0.125	0.000	0.125	0.000	0.000	0.000	0.000	
				Chaibasa	0	1	0	1		0.125	0.000	0.125	0.000	0.000	0.000	0.000	
				Jamshedpur	1	0	0	1		0.125	0.125	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	
				Total	1	1	1	3		0.375	0.125	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	
				Gumla	0	20	0	20		6.000	0.000	0.000	6.000	0.000	0.000	0.000	
5.5	Installation of cages in Reservoirs	3.00	Nos.	Sahebganj	10	44	98	152	798.00	51.600	23.400	28.200	0.000	0.000	0.000	0.000	
				Ranchi	0	44	8	52		15.600	15.600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
				Dumka	0	30	0	30		9.000	8.700	0.000	0.300	0.000	0.000	0.000	
				Jamtara	0	0	12	12		3.600	3.600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
				Total	10	138	118	266		85.800	51.300	28.200	6.300	0.000	0.000	0.000	
B. Infrastructure And Post Harvest Management																	
6.1 Construction of Cold Storages/ Ice Plants																	
6.1.1	Construction of Ice Plants/Cold Storages (min 10 ton capacity production)	40.00	Nos.	Dumka	0	0	2	2	120.00	20.000	0.000	6.550	0.000	5.000	0.000	8.450	
				Pakur	0	1	0	1		10.000	0.000	3.275	6.725	0.000	0.000	0.000	
Total				0	1	2	3	30.000	0.000	9.825	6.725	5.000	0.000	8.450			
6.9 Fish Feed Mills																	
6.9.1	Mini Feed Mills of production capacity 2 ton/day	30.00	Nos.	Sahebganj	0	0	1	1	180.00	7.500	0.000	3.000	0.000	4.500	0.000	0.000	
				Gumla	0	1	1	2		15.000	6.000	0.000	0.000	5.000	0.000	4.000	
				Simdega	0	0	1	1		7.500	2.000	1.000	4.500	0.000	0.000	0.000	
				Pakur	0	0	1	1		7.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7.500	
				Sahebganj	0	0	1	1		7.500	0.000	3.000	0.640	3.860	0.000	0.000	
Total				0	1	5	6	3126.50	667.925	147.679	219.499	46.060	119.336	23.000	112.352		

(आवधिकार वाले को भरकर भेजना होगा)

(लेईस लाख ₹0 मात्र)

(अनुसंधान विभाग के)

संयोजक के साक्षि